न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
प्रार्थना–पत्र सं0 : 163 सन 2020
अनवान :–

1. बिस्मिल्ला पुत्री नजीरदीन जाति कुम्हार निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर

सायला

बनाम

1. नजीरदीन पुत्र शेर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. इकबाल पुत्र नजीरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. अमतुना पुत्री नजीरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता सायला
श्री विजयसिह कडवासरा अधि. गैरसायल –1 ता 3

निर्णय दिनांक :– 18/10/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 518 //515 की कुल 13.9740हैक भूमि में 7103/34935 हिस्सा अन्य सयुक्त खातेदारो के साथ दर्ज है जो सायला के दादा शेर मोहम्मद की मृत्यू के पश्चात विरास्तन से गैरसायलान व सायला के चाचा व बुआ के नाम दर्ज हुई थी।

सायला की दादालाई खातेदारी भूमि में नजीरदीन गैरसायलान का नाम बतौर कर्ता खानदान दर्ज हुई जिसमें सायला व गैरसायलान संख्या 2 ,3 का बाई बर्थ राईट है जिसकी धोषणा न्यायालय से करवाने की अधिकारी है।

गैरसायला संख्या 1 सायला का पिता है तथा गैरचलन आदतो के कारण सायला की माता मुरगात की सेवा के देहान्त के पश्चात एक औरत के साथ नोहर आकर धक्काबस्ती में आकर रहने लगा तथा उसके एक लडका अकरम है जो जवान है नजरीदीन अपनी सारी भूमि को रोही मौजा मन्दरपुरा को छोडकर नोहर आकर बस गया है तथा कभी भी मन्दरपुरा नही गया है वाद भूमि को सायला एव गैरसायलान संख्या 2 ,3 ही काश्त करते आ रहे है गैरसायल संख्या 1 जो गैरचलन आदतो का आदि है शेर मोहम्मद की मृत्यू के पश्चात जब विरास्तन से भूमि दर्ज हुई जो अपने दुव्यसनो की पूर्ति हेतु लगभग रोही मन्दरपुरा की 12 बीघा भूमि को विक्रय कर दिया जो उसे विक्रय करने का अधिकार नही था अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का बेचान किया जा चुका है अब नजीरदीन और भूमि बेचान करने की फिराक में है यदि सायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायला गैरसायल संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी है।

रोही मौजा मन्दपुरा के खाता संख्या 518 में नजीरदीन का 7103/34935 हिस्सा भूमि दर्ज है जो केवल मात्र ट्रस्टी मात्र कोई अधिकार स्वय की पैदा करदा भूमि के अलावा भूमि को रहन बेय करने का अधिकार नही रखता है यदि गैरसायल संख्या 1 भूमि का बेचान करता है तो सायला व गैरसायल संख्या 2 ,3 को नापुरा होने वाला नुकसान होता है इसलिये गैरसायल संख्या 1 को पाबन्द करवाने की अधिकारी है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 को पाबन्द किया जावे की वह रोही मोजा मन्दपुरा के खाता संख्या 518 की कुल 13.9740हैक में से गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज 7103/34935 हिस्सा भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे रिकार्ड एवं मोका की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ,3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायला के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया की

Scanned with CamScanner

दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बिना किसी नियम कायदे , काननू के पेश किया गया है सायला एवं गैरसायलान संख्या 1 ता 3 मुस्लिम विधि से शासित है तथा इन पर मुस्लिम विधि लागू होती है मगर सायला ने हिन्दु विधि के अनुसार दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो किसी कदर चलने योग्य नही है।

सायला हिन्दु विधि के अनुसार दादालाई सुयक्त खानदान कर्ता खानदान सहदायिक सम्पति जैसी अवधारणा पर दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है जबकि सायला व गैरसायलान मुस्लिम विधि से शासित है तथा मुस्लिम विधि में दादालाई सयुक्त खानदान कर्ता खानदान व बाई बर्थ राईट की अवधारणा के आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत नही किया जा सकता है इसलिये दावा व प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित है ।

मुस्लिम विधि में किसी खातेदार काश्तकार के जीवनकाल में उसकी पुत्री व पुत्र को कोई हक व हिस्सा नही होता है तथा मुस्लिम खातेदार काश्तकार की मृत्यू के पश्चात मुस्लिम विधि के अनुसार हक व हिस्से तय होते है तथा सायला ने हिन्दु विधि के अनुसार दादालाई सहदायिकी सम्पति कर्ता खानदान आदि अवधारणा के आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र. अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है जो कानून के मूलभूत सिद्वान्त के खिलाफ है तथा मुस्लिम विधि के सिद्वान्त की अवहेलना में प्रस्तुत किया है।

सायला किसी प्रकार की धोखात्मक डिक्री मुस्लिम होते हुए हिन्दु विधि के अनुसार प्राप्त करने की अधिकारी नही है इसलिये मुस्लिम व्यक्ति गैर सायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है उसके खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी नही है ना ही जारी की जा सकती है।

सायला को दावा /प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा लोने को कोई वाद हेतु व वाद कारण हासिल नही है दावा व प्रार्थना पत्र विधि से वर्जित है कानुनन सुनवाई हेतु प्रस्तुत किये जाने योग्य नही है प्रारम्भिक स्तर पर काबिल खारिज है।

मुस्लिम काश्तकार के खिलाफ हिन्दु विधि अनुसार गलत आधार पर प्रस्तुत कर कोई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है यदि की जाती है तो तुल्नात्मक रूप से गैर सायलान उतरादाता को ज्यादा नुकसान होता है तथा विधि के सिद्वान्तों की अवहेलना होती है सायला क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नही आई है केवल गैरसायल सख्या 1 को हैरान पेरशान करने के लिये पेश किया गया है अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सायला के प्रार्थना पत्र का जबाब गैरसायल संख्या 1 ,3 प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 518 /515 की कुल 13.9740हैक भूमि में674 हिस्सा अन्य सयुक्त खातेदारो के साथ दर्ज है जो सायला के दादा शेर मोहम्मद की मृत्यू के पश्चात विरास्तन से गैरसायलान व सायला के चाचा व बुआ के नाम दर्ज हुई थी।

सायला की दादालाई खातेदारी भूमि में नजीरदीन गैरसायलान का नाम बतौर कर्ता खानदान दर्ज हुई जिसमें सायला व गैरसायलान संख्या 2 ,3 का बाई बर्थ राईट है जिसकी धोषणा न्यायालय से करवाने की अधिकारी है।

गैरसायला संख्या 1 सायला का पिता है तथा गैरचलन आदतो के कारण सायला की माता मुस्मात की सेवा के देहान्त के पश्चात एक औरत के साथ नोहर आकर धक्काबस्ती में आकर रहने लगा तथा उसके एक लडका अकरम है जो जवान है नजरीदीन अपनी सारी भूमि को रोही मौजा मन्दरपुरा को छोडकर नोहर आकर बस गया है तथा कभी भी मन्दरपुरा नही गया है वाद भूमि को सायला एव गैरसायलान संख्या 2 ,3 ही काश्त करते आ रहे है गैरसायल संख्या 1 जो गैरचलन आदतो का आदि है शेर मोहम्मद की मृत्यू के पश्चात जब विरास्तन से भूमि दर्ज हुई जो अपने दुव्यसनो की पूर्ति हेतु लगभग रोही मन्दरपुरा की 12 बीघा भूमि को विक्रय कर दिया जो उसे विक्रय करने का अधिकार नही था अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का बेचान किया जा चुका है अब नजीरदीन और भूमि बेचान करने की फिराक में है यदि सायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायला गैरसायल संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी है।

रोही मौजा मन्दपुरा के खाता संख्या 518 में नजीरदीन का 7103/34935 हिस्सा भूमि दर्ज है जो केवल मात्र ट्रस्टी मात्र कोई अधिकार स्वय की पैदा करदा भूमि के अलावा भूमि को रहन बेय करने का अधिकार नही रखता है यदि गैरसायल संख्या 1 भूमि का बेचान करता है तो सायला

Scanned with CamScanner

व गैरसायल संख्या 2 3 को नापुरा होने वाला नुकसान होता है इसलिये गैरसायल संख्या 1 को पाबन्द करवाने की अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बिना किसी नियम कायदे कानून के पेश किया गया है सायला एवं गैरसायलान संख्या 1 ता 3 मुस्लिम विधि से शासित है तथा इन पर मुस्लिम विधि लागू होती है मगर सायला ने हिन्दु विधि के अनुसार दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो किसी कदर चलने योग्य नही है।

सायला हिन्दु विधि के अनुसार दादालाई सयुक्त खानदान कर्ता खानदान सहदायिक सम्पति जैसी अवधारणा पर दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है जबकि सायला व गैरसायलान मुस्लिम विधि से शासित है तथा मुस्लिम विधि में दादालाई सयुक्त खानदान कर्ता खानदान व बाई बर्थ राईट की अवधारणा के आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत नही किया जा सकता है इसलिये दावा व प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित है ।

मुस्लिम विधि मे किसी खातेदार काश्तकार के जीवनकाल में उसकी पुत्री व पुत्र को कोई हक व हिस्सा नही होता है तथा मुस्लिम खातेदार काश्तकार की मृत्यू के पश्चात मुस्लिम विधि के अनुसार हक व हिस्से तय होते है तथा सायला ने हिन्दु विधि के अनुसार दादालाई सहदायिकी सम्पति कर्ता खानदान आदि अवधारणा के आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है जो कानून के मूलभूत सिद्धान्त के खिलाफ है तथा मुस्लिम विधि के सिद्धान्त की अवहेलना मे प्रस्तुत किया है।

सायला किसी प्रकार की घोषात्मक डिक्री मुस्लिम होते हुए हिन्दु विधि के अनुसार प्राप्त करने की अधिकारी नही है इसलिये मुस्लिम व्यक्ति गैर सायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है उसके खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी नही है ना ही जारी की जा सकती है।

सायला को दावा /प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा लोने को कोई वाद हेतु व वाद कारण हासिल नही है दावा व प्रार्थना पत्र विधि से वर्जित है कानुनन सुनवाई हेतु प्रस्तुत किये जाने योग्य नही है प्रारम्भिक स्तर पर काबिल खारिज है।

मुस्लिम काश्तकार के खिलाफ हिन्दु विधि अनुसार गलत आधार पर प्रस्तुत कर कोई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है यदि की जाती है तो तुल्नात्मक रूप से गैर सायलान उतरादाता को ज्यादा नुकसान होता है तथा विधि के सिद्धान्तों की अवहेलना होती है सायला क्लीन हण्ड से न्यायालय मे नही आई है केवल गैरसायल संख्या 1 को हैरान परेशान करने के लिये पेश किया गया है अत: सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अपने कथनो के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे वर्ष 1999 पेज 502 एव आरआरडी वर्ष 2017 पेज 803 पेश किये ।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुती के आधार पर तय होगा की वाद भूमि मे सायला का हक हिस्सा है या नही तथा सायला वाद भूमि के सम्बध मे किसी प्रकार से वाद/प्रार्थना पत्र लाने के अधिकारी है या ही प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एव अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष मे है।

प्रस्तुत रिकार्ड मे वाद भूमि रोही गौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 518 /515 की कुल 13.9740हैव भूमि मे से 7103/34935 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम अन्य सयुक्त खातेदारो के साथ मुश्तरका खाते मे दर्ज है। गैरसायल संख्या 1 के नाम मुश्तरका खाते मे बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसके कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायल संख्या 1 के पक्ष मे पाया जाता है।

सायला का कथन है कि वाद भूमि उसके दादा के देहान्त होने के बाद विरासत से गैरसायल संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमे सायला का जन्म से हक हिस्सा है जिसकी घोषणा करवाने का वाद न्यायालय मे विचाराधीन है सायला के हको की घोषणा होने तक न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को तारीसला कन्फर्म किया जावे इसके विपरित गैरसायल संख्या 1 का कथन है कि सायला एव गैरसायल संख्या 1 ता 3 सभी मुस्लिम विधि से शासित है मुस्लिम विधि के अनुसार गैरसायल के जीवनकाल मे सायला का कोई हक हिस्सा नही है मुस्लिम विधि से शासित होने के कारण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वाद पेश/प्रार्थना पत्र पेश किया गया है चलने योग्य नही है ना ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा सायला पाने की अधिकारी है इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमावे।

Scanned with CamScanner

सायला के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पति का कथन किया जाकर अपने हको की घोषणा का वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायला के द्वारा प्रस्तुत शिर्षक में सायला एव गैरसायलान संख्या 1 ता 3 की जाति कुम्हार मुसलमान अंकित की गई है सायला स्वय कुम्हार मुसलमान होना स्वीकार कर रही है जिससे सायला एव गैरसायलान संख्या 1 ता 3 मुसलमान होना प्रतीत होता है।

गैरसायल संख्या 1 का कथन है कि मुस्लिम विधि के अनुसार दादालाई एव सयुक्त खानदान, कर्ता खानदान सहदायिक सम्पति जैसी अवधारणा नही होती है सायला ने गैरसायल के कथनो के सम्बध/विरोध में ऐसा कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया गया जिससे सायला एव गैरसायलान मुस्लिम विधि से शासित ना हो।

गैरसायल संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरवीजे वर्ष 1999 पेज 502 एव आरआरडी वर्ष 2017 पेज 803 के अनुसार

" मुस्लिम विधि के प्रावधानो के तहत सायला अपने पिता के जीवनकाल में विवादित अराजी /वाद भूमि के सम्बध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है "

सायला मुस्लिम विधि से शासित होने के कारण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है।

सायला के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जाति कुम्हार मुसलमान अंकित है जिससे सायला मुस्लिम विधि से शासित होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है तथा सायला ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे सायला मुस्लिम विधि से शासित ना हो मात्र कथनो के आधार पर हिन्दु उतराधिकार के तहत अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है तथा गैरसायल के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार मुस्लिम विधि के अनुसार किसी भी पुत्र अथवा पुत्री को अपने पिता के जीवनकाल में अपना हिस्सा प्राप्त करने को कोई अधिकार प्राप्त नही है ।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायला के प्रार्थना पत्र के शीर्षक में जाति कुम्हार मुसलमान अंकित की गई है जिससे प्रथम दृष्टया सायला मुस्लिम विधि से शासित होना पाया जाता है जिससे सायला मुस्लिम विधि के अनुसार ही अनुतोष प्राप्त कर सकती है हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है तथा गैरसायल संख्या 1 जो मुस्लिम विधि से शासित है एव वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सहखातेदारो के साथ बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है बिना किसी ठोस आधार के गैरसायल संख्या 1 को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है ना ही सायला ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे गैरसायल जो मुस्लिम विधि से शासित है को पाबन्द किया जा सके।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायल संख्या 1 जो मुस्लिम विधि से शासित है के पक्ष में पाये जाने के कारण कार्यालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.12.2020 को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner